न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ0ग0)

प्ररूप "ग"

(नियम 3 (2) के तहत अनुमति)

क्रमांक /वाचक/2025 भैयाथान दिनांक /04/2025

प्रति,

श्री सरनाम सिंह आ0 मोहन,
जाति गोंड,
निवासी ग्राम मसनकी,
तहसील ओडगी जिला सूरजपुर।

विषय :— प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमित।

——000——

विषयांतर्गत आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2024 पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग से संयुक्त निरीक्षण जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :—

क्रमांक	प्रजाति	छाती की गोलाई
1	साल (इमारती)	230 से.मी.
2	साल (इमारती)	160 से.मी.
3	साल (इमारती)	190 से.मी.
4	साल (इमारती)	200 से.मी.
5	साल (इमारती)	260 से.मी.
6	साल (इमारती)	250 से.मी.

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नं0 3, 21, 29 रकबा 0.13, 0.27, 0.77 हे0 ग्राम मसनकी तहसील ओडगी जिला सूरजपुर में स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति साल (इमारती) सरल क्रमांक 1 से 6 में वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नही हो रहा है। अतः उपरोक्त 6 वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2022 के नियम 4 के अनुसार छ0ग0 वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 अभवन (वनोपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हूए भूमि स्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा। सक्षम अनुज्ञा की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकडी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी।

जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उसका अनुरक्षा किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए

17/4/25

जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के माध्यम से कलेक्टर को दी जावेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र0 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

17/4/25
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
भैयाथान जिला सूरजपुर

क्रमांक /वाचक/2025 भैयाथान दिनांक /04/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार तहसील ओडगी जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

17/4/25
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
भैयाथान, जिला सूरजपुर